न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 26/2018

अपीलांट्स –
1. घमण्डाराम पुत्र पीराराम
2. मुस्मात लहरीदेवी पत्नी पीराराम
3. नाथाराम पुत्र शेराराम
   जाति जाट निवासी गोरसियों का तला (काश्मीर) तहसील शिव जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –
1. धीराराम पुत्र जालाराम
2. ईशराराम पुत्र जेताराम
3. हेमाराम पुत्र जेताराम
4. रूपाराम पुत्र जेताराम
5. मुस्मात खेमीदेवी पत्नी जेताराम
   जाति जाट निवासी गोरसियों का तला (काश्मीर) तहसील शिव जिला बाड़मेर
6. तहसीलदार शिव

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 15.02.2013 जो खातेदारान की संयुक्त खातेदारी की भूमि के विभाजन हेतु तहसीलदार शिव द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–
1. श्री बांकाराम चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री राणाराम गौड़, अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं. 1से5 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पोडेंट सं. 6 प्रफॉर्मा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 26.07.2022

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार शिव के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश दिनांक 15.02.2013 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा गोरसियों का तला के खेत खसरा नंबर 507 एवं 914 रकबा क्रमशः 218–13 बीघा तथा 127–06 बीघा कुल रकबा 345–19 के खातेदारान घमण्डा वल्द पीरा मु0 लेरी बेवा पीरा नाथा वल्द शेरा 1/2 धीरा वल्द जाला ईसराराम हेमाराम रूपाराम जेताराम खेमी बेवा जेता कौम जाट सा0 देह ने दिनांक 15.02.2013 को तहसील शिव के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन के अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगत का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान हल्का पटवारी काश्मीर द्वारा की गई तथा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि घमण्डा वल्द पीरा मु0 लेरी बेवा पीरा नाथा वल्द शेरा

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.09.22 16:27:31 IST
Reason: SelfAttested
जिला कलक्टर बाड़मेर

1/2 धीरा वल्द जाला ईसराराम हेमाराम रूपाराम पि0 जेताराम खेमी बेवा जेता कौम जाट सा0 देह को रिकार्डेड खातेदारी है तथा उनके द्वारा एग्रीमेन्ट में बताये गये भूमि एवं लगान विवरण सही है। अब इन्होंने जिस अनुसार विभाजन किया है वो अपने अपने हिस्से पर उनके बताये अनुसार काबिज है। प्रत्येक हिस्से के अनुसार अपने वाली भूमि के अनुसार उक्त विभाजन ठीक है, तथा लगान को जो पुनः वितरण किया है वह प्रत्येक सहखातेदार के हिस्से में अपने आने वाली भूमि के रकबे व किस्म के अनुसार सही है व एक नम्बर के भाग किये गये उसमें जो सीमा का वितरण बताया गया वह ठीक है। मौके पर ये उसी अनुसार है तथा नक्शे में जो सीमाएं वितरण गई हैं वह भी मौके की स्थिति के अनुसार हैं। इस पर तहसीलदार शिव द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं पक्षकारान की सहमति के आधार प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.02.2013 पारित किया गया। अपीलांट्स ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 07.05.2018 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट्स की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन मूल अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट्स व रेस्पोडेंट्स के अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5 ने अपीलाधीन खेत खसरा नबंर 507 एवं 914 के कागजात तैयार कराये तथा अपीलांट्स को विभाजन कराने हेतु प्रशासन गांवों के संग राजस्व अभियान में आने की सूचना दी। जब अपीलांट्स शिविर स्थल पर गये तब कागजात पटवारी के पास तैयार थे और पटवारी ने उन्हें आश्वस्त किया कि विभाजन पक्षकारान के कब्जानुसार है। अपीलांट्स ने हल्का पटवारी के विश्वास पर विभाजन प्रस्ताव पर हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान कर दिये। उसी दिन पटवारी ने विभाजन आवेदन मौके पर ही तहसीलदार शिव से तस्दीक करा दिया। अपीलांट्स का हिस्सा विवादित भूमि पर जागीरकाल से 2/3 रहा है तथा वे उस पर आदिनांक काबिज हैं जबकि अपीलाधीन विभाजन आदेश में अपीलांट्स तथा रेस्पोडेंट्स के हिस्से में 1/2-1/2 अनुसार त्रुटिपूर्वक अंकन किया गया है। तहसीलदार शिव द्वारा खातेदारी रेकर्ड की जांच किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया है जिससे अपीलांट्स को अकारण अपूरणीय क्षति हो रही है। [illegible] उपर्युक्त समस्त विधिक आधारों पर अपीलाधीन विभाजन आदेश निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट्स की यह अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश निरस्त फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.09.22 16:27:31 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Lok
जिला कलक्टर
बाड़मेर

5. अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अर्सा एक माह पूर्व रेस्पोडेंट्स ने अपीलांट्स को बताया कि वे अपने–अपने हिस्से में आए भू–भाग की नेखमबंदी करना चाहते हैं तथा अपीलांट्स इस आराजी में अपने खातेदारी हिस्सा 1/2 से ज्यादा रकबे पर काबिज हैं। अतः अपना कब्जा हटा लेवें। तब अपीलांट्स ने तहसीलदार शिव से दिनांक 23.04.2018 को विभाजन आदेश एवं नक्शे की नकलें प्राप्त की तब ही उन्हें अपीलाधीन विभाजन के गलत होने की जानकारी मिली। इस प्रकार वास्तविकता का ज्ञान होने की तिथि से अन्दर मयाद यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है तथा हुए विलम्ब को क्षमा करने के लिए धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र भी अपील के संलग्न प्रस्तुत कर यह अपील अन्दर मयाद शुमार करने का निवेदन किया गया है।

6. रेस्पोडेंट सं. 1 से 5 की ओर से अधिवक्ता द्वारा धारा 5 मयाद अधिनियम के लिखित जवाब में प्रकट किया कि अपीलाधीन खेत खसरा के खातेदारान का विभाजन आदेश में बहिस्सा बराबर–बराबर 1/2–1/2 हैं तथा पक्षकारान उक्त हिस्सों के रेकर्डेड खातेदार हैं। तहसीलदार शिव द्वारा अपीलाधीन विभाजन आदेश विधि अनुसार पक्षकारान की सहमति से बंटवाडा किया गया। अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील पूर्णतया निराधार एवं कपोल कल्पित आधारों पर प्रस्तुत की गई है। पक्षकारान द्वारा आपसी सहमति से राजस्व कैम्प में अपनी–अपनी कृषि जोतों का विभाजन करवाया है, लिहाजा अपीलांट्स को अपीलाधीन विभाजन की पूर्ण जानकारी तत्समय भली–भांति थी। अपीलांट्स द्वारा यह अपील करीबन 5 साल 2 माह के असाधारण विलम्ब के साथ प्रस्तुत की है जिसमें अपीलांट्स द्वारा कोई युक्तियुक्त एवं सद्भाविक कारण का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः अपीलांट्स की अपील पूर्णतया मयाद बाहर, गलत, निराधार एवं मनगढत तथ्यों पर आधारित होने से खारिज करने का आदेश प्रदान करावें।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

7. हमने अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट सं. 1 से 6 के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा गोरसियों का तला के खेत खसरा नंबर 507 एवं 914 रकबा क्रमशः 218–13 बीघा तथा 127–06 बीघा कुल रकबा 345–19 के खातेदारान घमण्डा वल्द पीरा मु0 लेरी बेवा पीरा नाथा वल्द शेरा 1/2 धीरा वल्द जाला ईसराराम हेमाराम रूपाराम पि0 जेताराम खेमी बेवा जेता कौम जाट सा0 देह ने दिनांक 15.02.2013 को तहसीलदार शिव के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी र[illegible] समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभा[illegible] है। पक्षकारान की पहचान हल्का पटवारी काश्मी[illegible] अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि घमण्डा वल्द पीरा मु0 लेरी बेवा पीरा नाथा [illegible] शेरा 1/2 धीरा वल्द जाला ईसराराम हेमाराम रूपाराम पि0 जेताराम खेमी बेवा जेता कौम जाट सा0 देह को

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.09.22 16:27:31 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

रिकार्डेड खातेदारी है तथा उनके द्वारा एग्रीमेन्ट में बताये गये भूमि एवं लगान विवरण सही है। अब इन्होंने जिस अनुसार विभाजन किया है वो अपने अपने हिस्से पर उनके बताये अनुसार काबिज है। प्रत्येक हिस्से के अनुसार अपने वाली भूमि के अनुसार उक्त विभाजन ठीक है, तथा लगान को जो पुनः वितरण किया है वह प्रत्येक सहखातेदार के हिस्से में अपने आने वाली भूमि के रकबे व किस्म के अनुसार सही है व एक नम्बर के भाग किये गये उसमें जो सीमा का वितरण बताया गया वह ठीक है। मौके पर ये उसी अनुसार है तथा नक्शे में जो सीमाएं वितरण गई हैं वह भी मौके की स्थिति के अनुसार हैं। इस पर तहसीलदार शिव द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं पक्षकारान की सहमति के आधार प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.02.2013 पारित किया गया है। अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट संख्य 1 से 5 सभी पक्षकारान के सहमति स्वरूप हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान अंकित हैं। जहां तक अपीलांट का कथन है कि विवादित भूमि में उनका 2/3 हिस्सा जागीरकाल से है, राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत 2069–2072 में इससे भिन्न 1/2 हिस्सा रेकर्डेड अंकित है। इस प्रकार इस अपील में अपीलांट्स की ओर से लिया गया आधार अभिलेख से परे है। अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात परचा लगान संवत 2012 में उक्त भूमि शेरा वल्द फगलू के नाम हिस्सा 2/3 अवश्य दर्ज है। ऐसे में बंदोबस्त उपरान्त यदि हिस्से के अंकन में परिवर्तन कर दिया गया है तो इसके लिए अपीलांट्स सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से भी प्रकट होता है कि अपीलांट्स की ओर से एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 209, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सहायक कलक्टर (एसडीओ) शिव के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जो विचाराधीन है। इस प्रकार उपरोक्त दस्तावेजों से यह भली–भांति साबित है कि अपीलाधीन आदेश से पूर्व रेकर्ड में जिस अनुसार हिस्सा दर्ज था उसी अनुसार विभाजन किया गया है तथा इस विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट्स की सम्पूर्ण सहमति रही है। अपीलांट्स द्वारा एक बार सहमति दिये जाने के पश्चात 5 वर्ष की लम्बी समयावधि के बाद यह अपील प्रस्तुत की गई है जिसके लिए विलम्ब का कोई ठोस एवं संतुष्टिपरक कारण नहीं दर्शाया गया है। इस आधार पर हस्तगत अपील पूर्णरूपेण मयाद बाहर है। इसके अलावा भी अपीलांट्स द्वारा अपने हिस्सों के संबंध में घोषणा का वाद सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है एवं वर्तमान में विचाराधीन है। लिहाजा विवादित भूमि में अपनी खातेदारी [illegible] हिस्सों बाबत उक्त वाद में साक्ष्य–सबूत प्रस्तुत कर चाराजोही कर सकते हैं। इस प्रकार हस्तगत अपील मेरिट पर दुर्बल होने के साथ ही मयाद बाहर होने [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.09.22 16:27:31 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील मयाद बाहर होने व सारहीन एवं आधारहीन कथनों पर आधारित होने से खारिज की जाती है।

9. निर्णय आज दिनांक 26.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.09.22 16:27:31 IST
Reason: SelfAttested